मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 मई, 1998 (वैशाख 11, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री आनंदीलाल छजलानी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) सुश्री राजकुमारी ज्ञानदा देवी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(3) श्री पुसऊराम, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(4) श्री उमराव सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा; तथा
(5) श्री कन्हैयालाल खचेरूमल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. नं.38-स्था-रा. वि.से.प्रा.-97, दिनांक 3 जनवरी, 1998 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प क्रमांक एम-9-1-94-4-एक, दिनांक 19 फरवरी, 1994 तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 251-165-चौवन-95, दिनांक 7 जुलाई, 1995 के पैरा 8 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अल्प संख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 तथा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रेम नारायण ठाकुर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973) की धारा 14 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-97-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 23 जुलाई, 1997 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, रीवा में नगर निगम व नगर सुधार न्यास के कर्मचारियों की पदोन्नति में अनियमितता होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री जयंत कुमार मलैया, ईश्वरदास रोहाणी, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, दमोह, जबलपुर एवं सागर नगर में पेयजल संकट होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती करुणा शुक्ला, श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, रायपुर जिले में घटिया स्तर की शराब पीने से अनेक लोगों की मौत होने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, खण्डवा स्थित पॉलिटेक्निक संस्था के प्राचार्य द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर जन शक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के उत्तर वन मण्डल अन्तर्गत वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री नीलम सिंह यादव, सदस्य, शिवपुरी जिले में तेंदूपत्ता संकलन में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भारत भवन, भोपाल के न्यासियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, रायपुर व भिलाई नगर में डकैती की घटनायें होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) डॉ. अशोक साबले, सदस्य, बैतूल जिले में डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा वन भूमि पर बिना अनुमति के कब्जा किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री मुनीराम साहू, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम वैकंट नवागांव के कई व्यक्तियों की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री रामकिशोर शुक्ल, सदस्य, शहडोल जिले के लोकसभा निर्वाचन मतदान केन्द्र रेउसा में प्रत्याशी के अभिकर्ता से मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य, सीहोर जिले में कंजरों का आतंक होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रामविचार नेताम, सदस्य, सरगुजा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों से पशुओं को बिहार ले जाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले में आंत्रशोथ का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, मंदसौर जिले के गांधीसागर जलाशय से मछली नीलामी में अनियमितता होने की ओर मछली पालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम चरी कनावर में करार धसकने से तीन लोगों की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री सोबरन सिंह मावई, ओमप्रकाश खटीक, चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सदस्य, मुरैना, शिवपुरी एवं बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र में पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री रमाशंकर भारद्वाज, श्रीमती जयश्री बैनर्जी, श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, प्रदेश के अनेक स्थानों पर फायनेंस कंपनियों द्वारा लोगों से धोखाधड़ी किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, सदस्य, ग्वालियर कृषि महाविद्यालय के प्राध्यापकों के साथ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री बाबूलाल गौर, सभापति, लोक लेखा समिति का 187वां से 194वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री रामकुमार पटेल, कार्यवाहक सभापति, प्राक्कलन समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, याचिका समिति का 28वां, 29वां, 30वां, तथा 31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) लाल विजय प्रताप सिंह, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का दसवां, ग्यारहवां एवं बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बिजौरा, नवागांव, पिपरवटी आदि में विद्युतीकरण कराये जाने,

(2) श्री गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, खण्डवा नगर के –

(क) हिन्दू बाल सेवा सदन परिसर में संस्कार भवन तथा कन्या आश्रम बनाये जाने, एवं
(ख) अनाथालय में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान दिलाये जाने,

(3) ठाकुर मोहर सिंह, सदस्य, विदिशा जिले के तहसील मुख्यालय ग्यारसपुर में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(4) श्री रामकिशन चौहान, सदस्य, रायसेन जिले की नगर पंचायत बाड़ी के अध्यक्ष का चुनाव कराये जाने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के –

(क) ग्राम बेहटा में शासकीय ट्यूबवेल लगाये जाने ; एवं
(ख) ग्राम महुआ स्थित हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने,

(6) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के –

(क) कस्बा नागोद से बसुधा तक सड़क बनाये जाने; एवं
(ख) ग्राम कुम्हारी के पास बीहर नदी पर स्टापडेम/काजवे बनाये जाने,

451

(7) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम महाराजपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने, एवं

(ख) ग्राम गढ़ी मलहरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने; तथा

(8) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, मध्यप्रदेश के हैहयवंशी क्षत्रिय ताम्रकार समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कराये जाने ,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. वक्तव्य

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री -

(क) दिनांक 20 फरवरी, 1995 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 1069), तथा

(ख) दिनांक 7 दिसम्बर, 1995 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्रमांक 2097),

के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, दल्ली राजहरा-जगदलपुर रेल लाईन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा हस्ताक्षरित किये गये एम.ओ.यू. के संबंध में वक्तव्य देंगे.

8. प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव

(1) श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 30 सन् 1997) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

(3) श्री घनश्याम पाटीदार, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"शासकीय आवासों के आवंटन एवं उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने विषयक समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय".

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" प्रदेश में कोल माइन्स प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं एवं पुनर्वास के संबंध में जांच संबंधी प्रतिवेदन याचिका समिति द्वारा प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय".

निर्धारित समय

9. शासकीय संकल्प

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा का पुनर्ग्रहण -

"मध्यप्रदेश की विधान सभा समवेत रूप से भारत सरकार के प्रति छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का निर्णय लेने हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करती है".

1 घन्टा (2) श्री रत्नेश सॉलोमन, श्रम मंत्री, 60 मिलीमीटर से छोटी सिगरेट पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में तत्काल वृद्धि किये जाने एवं बीड़ी निर्माण पर लागू उत्पाद शुल्क को घटाया जाकर बीड़ी मजदूरों के नियोजन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने संबंधी संकल्प प्रस्तुत करेंगे.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

2 घन्टे श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, जन शक्ति नियोजन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 (क्रमांक 13 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

11. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, मध्यप्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक, 1998 (क्रमांक 15 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

-4-

निर्धारित समय

12. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री नेमीचन्द जैन, मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में बहने वाली समस्त नदियों को आपस में जोड़कर एक वाटरग्रिड बनाया जाय."

(2) श्री रमाशंकर भारद्वाज, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. " सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के गांवो के ऐसे किसान जिनकी संख्या पांच या पांच से अधिक हो उनके खेतों में सामुदायिक सिंचाई हेतु शासन की तरफ से उत्खनन करवाकर उनको सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाय".

(3) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

35 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश के विभिन्न नगरों में कार्यरत विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार न्यासों द्वारा नागरिकों को आवासीय भूखण्ड बेचे जाने पर प्रतिवर्ष भू-भाटक लेने के स्थान पर एक मुश्त भू-भाटक राशि लेकर भूखण्डों का मालिकाना हक संबंधित नागरिकों को प्रदान करने हेतु राज्य शासन कानून बनाए."

(4) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

35 मि. " सदन का मत है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम शासकीय मानदण्डों की पूर्ति करते हों उनमें से ऐसे प्रमुख नर्सिंग होम जो हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, डायलेसिस, कैंसर और दुर्घटना संबंधी आपात् व्यवस्थाओं के इलाज हेतु आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित हों, सक्षम हों, उन्हें राज्य शासन मान्यता प्राप्त घोषित करे तथा ऐसे अन्य नर्सिंग होम में प्रदेश के शासकीय सेवकों को उनसे इलाज कराने पर चिकित्सा देयकों की पूर्ति की सुविधा दी जाय".

13. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 3 अप्रैल, 1998 को खेल एवं युवक कल्याण मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 108 (क्रमांक 2589) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 918) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. आई.एम.पी वर्मा एवं श्रीमती विद्यावती पटेल सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(3) दिनांक 25 मार्च, 1998 को नगरीय कल्याण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 391) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री बच्चन नायक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(4) दिनांक 25 मार्च, 1998 को उप मुख्यमंत्री (राजस्व) से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 63) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री लल्लू सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(5) दिनांक 23 अप्रैल, 1998 को उप मुख्यमंत्री (राजस्व) से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 3134) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री अरुण वोरा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(6) दिनांक 13 अप्रैल, 1998 को स्थानीय शासन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 110 (क्रमांक 3398) जिसे दिनांक 15 अप्रैल, 1998 को अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में सम्मिलित किया गया था, के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, चर्चा उठायेंगी.

(7) दिनांक 25 मार्च, 1998 को बीस सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 246) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मोती कश्यप, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(8) दिनांक 24 अप्रैल, 1998 को सहकारिता मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 141 (क्रमांक 6623) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 30 अप्रैल, 1998

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा